Board of Revenue For Rajasthan Ajmer
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

अपील/डिक्री/5959/2004/जयपुर

1. कल्याण सिंह पुत्र दुर्गासिंह फौत जरिये कायम मुकाम–

श्रीमती चन्द्रकुवर पत्नी स्व.श्री कल्याण सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम श्योपुर तहसील सांगानेर जिला जयपुर

2. सुरेन्द्र पुत्र गंगाराम जाति रेगर निवासी ग्राम श्योपुर तहसील सांगानेर जिला जयपुर
3. कन्हैया लाल पुत्र कल्याण सहाय माली रेगर निवासी ग्राम श्योपुर तहसील सांगानेर जिला जयपुर
4. राधेश्याम पुत्र भोरी लाल फौत जरिये कायम मुकाम–

   4/1.श्रीमती गंगादेवी पत्नी स्व. श्री राधेश्याम

   4/2. हरीमोहन पुत्र स्व. श्री राधेश्याम

   4/3.विनोद कुमार शर्मा पुत्र स्व. श्री राधेश्याम

   4/4. मुकेश शर्मा पुत्र स्व.श्री राधेश्याम

   समस्त जाति ब्राहमण निवासीगण ग्राम मथुरावाला तहसील सांगानेर जिला जयपुर

   5.नरोत्तम पुत्र श्री रामदेव फौत जरिये कायम मुकाम–

   श्रीमती गुलाब देवी पत्नी स्व. श्री नरोत्तम जाति रेगर निवासी ग्राम श्योपुर तहसील सांगानेर जिला जयपुर
5. चौथमल पुत्र तेजराम जाट निवासी ग्राम जैतपुरा उर्फ हाज्यावाला तहसील सांगानेर जिला जयपुर

अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगानेर
2. आयुक्त जयपुर नगर निगम जयपुर
3. जयपुर विकास प्राधिकरण जरिये सचिव बिडला मन्दिर के सामने जयपुर
4. राजस्थान आवासन मण्डल जरिये सचिव ज्योतिनगर जयपुर

रेस्पोडेन्ट्स

खण्ड पीठ
श्री मोहन लाल नेहरा सदस्य
श्री धूकलराम कसवां सदस्य

उपस्थित
श्री अशोक नाथ अभिभाषक अपीलार्थी
श्री शिवप्रकाश चौधरी उप राजकीय अभिभाषक
श्री यज्ञदत शर्मा अभिभाषक प्रत्यर्थी
श्री के.के.पुरोहित अभिभाषक प्रत्यर्थी

निर्णय

दिनांकः

1. यह अपील राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 4–9–04 के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955(संक्षेप में अधिनियम) की धारा 224 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई हैं।

2. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलार्थीगण वादीगण ने उपखण्ड अधिकारी जयपुर के न्यायालय में वाद पत्र में अंकित आराजी के बाबत एक वाद अधिनियम की धारा 88 एवं 188 के तहत प्रत्यर्थीगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया। दावा एवं जबाब दावा के आधार पर विचारण न्यायालय ने अनुतोष सहित कुल नौ तनकीयात कायम की और निर्णय दिनांक 12–7–02 के द्वारा अपीलार्थी का वाद खारिज कर दिया। इससे व्यथित हेाकर अपीलार्थी ने राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जिन्होंने अपने निर्णय दिनांक 4–9–04 से अपील खारिज कर दी। इससे व्यथित होकर यह द्वितीय अपील मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3. उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं मौखिक साक्ष्य का विवेचन किये बिना निर्णय पारित किया है। जागीरदार बहादुर सिंह ने वादग्रस्त आराजी अपीलार्थी को उसके भरण पोषण के लिये दी थी तथा

अपीलार्थी कल्याण सिंह ने शेष वादीगण को लिखावट प्रदर्श–2 से वादग्रस्त भूमि के5/6भाग को शिकमी काश्त पर दे दिया था। विचारण न्यायालय में प्रतिवादी ग्राम पंचायत श्योपुर द्वारा वादग्रस्त आराजी पर अपीलार्थी का कब्जा होना अस्वीकार किया जाना उल्लेखित करते हुये तथा वादग्रस्त आराजी का मौके पर चारागाह के उपयोग एवं उपभोग में नहीं आने का भी स्पष्ट उल्लेख किया है।ऐसी स्थिति में दावा डिक्री करना चाहिये था। उनका तर्क है कि दिनांक 1–11–58 को अपीलार्थी कल्याण सिंह के पितामह श्री रावबहादुर सिंह की जागीर पुर्नग्रहण होने की तिथी को वादग्रस्त आराजी न तो चारागाह दर्ज थी न चारागाह के उपयोग में ली जा रही थी। वादग्रस्त आराजी अपीलार्थी के कब्जे काश्त में चली आ रही थी। अपीलार्थी को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में प्रभाव में आने की तिथी को ही वादग्रस्त आराजी पर खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये थे। बन्दोबस्त विभाग को वादग्रस्त आराजी को चारागाह दर्ज करने का कोई अधिकार नहीं था। इसलिये दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय व डिक्री निरस्त किये जाकर अपीलार्थी का वाद डिक्री किया जावे।

5. प्रत्यर्थी के विद्वान अभिभाषकगण ने अपनी बहस में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष बताते हुये अपील खारिज करने का निवेदन किया और तर्क प्रस्तुत किया कि विवादित भूमि प्रारम्भ से ही सरकारी भूमि थी जिसको सार्वजनिक उपयोग हेतु अवाप्त किया गया है। वर्ष 1990 में आवासन मण्डल के पक्ष में अवाप्त हो चुकी है जिसके बाबत अपीलार्थी का कोई क्लेम नहीं है। इसलिये अपील खारिज योग्य है।

6. हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

7. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रेकार्ड का आद्योपान्त अवलोकन करने पर यह स्थिति स्पष्ट होती है कि नकल खसरा गिरदावरी सम्बत 2009से 2015 प्रदर्श पी–8 के अनुसार विवादित भूमि की किस्म बंजड उपयोग चारागाह दर्ज है। कहीं कही उपकृषक के कालम में चारागाह के अतिरिक्त मकबूजा ठिकाना दर्ज है। खसरा नम्बर 680 रकबा 32बीघा 15विस्वा भूमि में सम्बत 2010 में

बाजरा,भूरिया रैगर की दर्ज है। सम्बत 2011 में भी बाजरा दर्ज है और शेष भूमि चारागाह दर्ज है। शेष खसरा नम्बर में कोई काश्त दर्ज नहीं है। नकल जमाबन्दी सम्बत 2015से 2034में कालम नं 3 में बहादुर सिंह मजकूर और कृषक के कालम में मकबूजा ठिकाना चारागाह दर्ज है। विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी का तर्क है कि भू प्रबन्ध विभाग द्वारा सम्बत 2015 में गलत तरीके से चारागाह दर्ज कर दी गई है, उक्त तर्क मान्य नहीं है क्योंकि वर्ष 2009 में ही उक्त भूमि चारागाह दर्ज है और बाद में निरन्तर यथावत चारागाह दर्ज रही है। यहां यह उल्लेख करना उचित होगा कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 लागू होने से पूर्व से ही विवादित भूमि चारागाह दर्ज थी और जागीर उन्मूलन के पूर्व भी चारागाह दर्ज थी। खसरा नम्बर 680 की कुछ भूमि पर मात्र एक दो वर्षो में नाजायज कब्जा करने के आधार पर अतिक्रमी को उपकृषक या शिकमी कृषक की श्रेणी में नहीं माना जा सकता है। वादग्रस्त आराजी की किस्म चारागाह दर्ज होने से इसमें खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते हैं। इसलिये दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निकाले गये समवर्ती निष्कर्षो में हम बिना किसी ठोस आधार के हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

8. उपरोक्त तथ्यात्मक एवं विधिक स्थिति को ध्यान में रखते हुये अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दोनों अपीलें सारहीन होने से खारिज की जाती हैं।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(धूकलराम कसवां)
सदस्य

(मोहन लाल नेहरा)
सदस्य